

न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(डॉ.सौम्या झा,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

04 / 2017
09.06.2017

पप्पूलाल पुत्र गिराज प्रसाद जाति धाकड निवासी चौरु तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

..... प्रार्थी

बनाम

- 1-सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 116 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक
- 2-परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 116 कार्यान्वयन इकाई ए-45/46 तिरुपति विहार ब्लॉक ए छतरपुरा बून्दी राज0
- 3-तहसीलदार उनियारा जिला टोंक राज0

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

- उपस्थित (1) श्री बंसत कुमार जैन,अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री सीताराम विजय,अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-2

निर्णय

दिनांक 28.11.2024

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 116 के निर्माण में ग्राम चौरु तहसील उनियारा की भूमि ख0नं0 2590/2202 में से 2910 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा गलत निर्धारण कर डीएलसी दर से कम दर पर निर्धारित किया गया है। प्रार्थी व्यवसायिक भूमि का मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः अर्वाड दिनांक 17.10.2016 को निरस्त कर व्यवसायिक भूमि की दर से मुआवजा दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अर्वाड पत्रावली दिनांक 17.10.2016 कि प्रमाणित प्रति तलब की गई एवं उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 116 के निर्माण हेतु प्रार्थी की भूमि ख0नं0 2590/2202 में से कुल रकबा 2910 वर्गमीटर वाके ग्राम चौरु में अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात प्रार्थी को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी

किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार में निहित हो गई। प्रार्थी को नोटिस जारी किया गया था, परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म बारानी-1 राजस्व रिकार्ड में अंकित थी। अवाप्त भूमि नगरीय आबादी से 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। प्रार्थी ने अवाप्त भूमि का कोई भी उपयोग संपरिवर्तन नहीं करवाया है। प्रार्थी व्यवसायिक भूमि की दर से मुआवजा निर्धारित करवाने का अधिकारी नहीं है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-2 सुनी। जवाब/बहस का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 116 अति० जिला कलेक्टर टोंक द्वारा प्रार्थी की भूमि ख०न० 2590/2202 में से 2910 वर्गमीटर, किस्म बारानी-1 वाके ग्राम चौरु का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। प्रार्थी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा व्यवसायिक भूमि की दर से चाहा गया है, परन्तु उनके द्वारा इसकी तायद में संपरिवर्तन आदेश/साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-116 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ.सौम्या झा)
आरबीट्रेटर प.न.एच.-116
आरबीट्रेटर
(जिला कलेक्टर)
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 116
(जिला कलेक्टर) टोंक